वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हाँ दक्षेस वित्त मंत्रियों का सम्मेलन 10–11 जुलाई, 1994 को आयोजित हुआ।

(ख) सम्मेलन में निर्धनता विरोधी योजनाओं और कार्यक्रमों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। मंत्रियों ने क्षेत्रीय आधार पर राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर ध्यान दिए जाने की मूल आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने विश्वव्यापी आर्थिक स्थिति में अपनाई गई प्रवृत्तियों की समीक्षा की और क्षेत्रीय सहयोग के साथ-साथ बहुपक्षीयवाद में वृद्धि की प्रवृत्ति पर सन्तुष्टि व्यक्त की। मंत्रियों ने आगे आभास किया कि दक्षेस के आंतरिक देशों के व्यापार को विस्तार दक्षेस देशों को एक साथ और अधिक समीप लाएगा और उनकी आर्थिक समृद्धि में सहायक होगा। उन्होंने बल दिया कि सुधार कार्यक्रम निर्धनता उन्मूलन पर त्वरित प्रयासों में सहायक होने चाहिए जबकि यह सुनिश्चित करते हुए कि अल्प काल में उनका निर्धन लोगों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता। मंत्रियों ने यह सहमति व्यक्त की कि एक त्रीस्तरीय कार्यविधि स्थापित की जानी चाहिए जो निर्धनता को कम किए जाने की क्रियान्वयन में दक्षेस देशों के अनुभवों पर सूचना के विनिमय के लिए मंच के रूप में कार्य करेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में गैर-सरकारी निदेशक बोर्ड

1968. श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंक में गैर-सरकारी निदेशक बोर्ड गठित करने का मामला किस चरण में है और इस तरह के गठन की पूरी प्रक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्तियां राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना, 1970 और 1980 में दिए गए मानदंड और प्रक्रिया के अनुसार की जाती हैं। इन कानूनों के अनुसार इन निदेशकों की नियुक्तियां भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती हैं।

सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों के पुनर्गठन के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

Tax benefits for handicapped people

1969. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to extend more Income Tax exemption benefits for handicapped people;

(b) what are the details of the representation received by Government from associations representing handicapped people;

(c) what is the reaction of Government;

(d) whether it is a fact that handicapped people get income-tax benefits in other countries;

(e) whether Government would also extend Income Tax benefits to business units patronizing activities and sports of handicappel people; and

(f) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) Government receives representation from time to time from various associations representing handicapped people for extending the scope of the tax concessions available to handicapped persons. Responding to these suggestions, the scope of several tax concessions have been enlarged.

(i) The deduction u|s 80DD of the Income-tax Act in respect of medical treatment of handicapped dependents has been increased from Rs. 6,000 to Rs. 12,000 by the Finance Act, 1992 and from Rs. 12,000 to Rs 15,000 by the Finance Act, 1993.

(ii) The condition in the aforesaid section that income of the guardian of the handicapped should not exceed Rs. I lakh has been deleted.

(iii) Deduction u|s 80U of the Income-tax Act for physically disabled persons has been increased from Rs. 15,000 to Rs. 20,000 by the Finance (No. 2) Act, 1991.

(iv) The concession u|s 80DD and 80U have been extended to persons suffering from mental retardation and blindness.

(v) Handicapped children have been excluded from the provision relating to clubbing of income of minors.

(d) Yes Sir. Income-tax benefits for handicapped persons and handicapped dependants, in the form of deductions and exemption from higher rate of tax on minors' income, are available in many countries, notably, Malaysia, Singapore Japan, Korea and the USA.

(e) There is no proposal to extend income-tax benefits to business units patronizing activities and sports of handicapped people.

(f) In view of the above, question does not arise.

राष्ट्रीयकृत बैंकों के संदेहजनक और बट्टे खाते ऋण

1970. **श्री वीरेन जे० शाह :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जुलाई, 1994 के "फाइनेन्शियल एक्सप्रैस" में "नो एण्ड इन साइट टू बैड डेब्ट्स" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों की 20,000 करोड़ रुपए की राशि संदेहजनक ऋणों और बट्टे खाते ऋणों के रूप में आंकी जा रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में पूंजी निवेश की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा बहुत बड़ी राशि पिछले सालों में उपलब्ध कराई गई ;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न रूपों में राष्ट्रीयकृत बकों को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई ; और

(ङ) क्या सरकार ने बैंकों को हुए घाटे के कारणों की जांच की है, यदि हां, तो घाटे के मुख्य कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वीरप्पा मोइली) : (क) जी, हाँ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी सूचनानुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा घोषित अशोध्य ऋण निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	राशि (करोड़ रुपयों में)
मार्च, 1991	407.14
मार्च, 1992	547.94
मार्च, 1993	971.24